

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोव जिला - सीकर

बनाम गोपाल आदि
 उभाराराम मु.नं. 35 वर्ष 2015
 किस्म मुकदमा अपील

दिनांक	आज्ञा - पत्र
12/1/26	<p>पशावली वास्ते आदेशार्थ पत्र हुई। वकील उपस्थित इजलित। बहक पर मजम किया। समस्त पशावली का अवलोकन किया। अतः अपीलार्थ की अपील आदेश के रूप में स्वीकार किया जाती है। निर्णय प्रपत्र के लिखवजा जाकर शारिल पशावली किया। मजम वास्ते तहसीलदार को लिखा जाये। पशावली केसल शुभक लेकर वास तहसील जायित इजलित है।</p>

↓
उपखण्ड अधिकारी
धोव जिला-सीकर

